संख्या-47/2023/358/52-1-2023-1643760

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2023

विषय– केन्द्र पुरोनिधानित योजना (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राज्य स्तर पर उपलब्ध अव्ययित केन्द्रांश की धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5305/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन0मॉग-330/2023 दिनांक 24 फरवरी, 2023, पत्र संख्या-5569/अ0सं0क0नि0/ पी0एम0जे0वी0के0/धन0मॉग-330/2022 दिनांक 20.03.2023 एवं 5598/अ0सं0 क0नि0/ पी0एम0जे0वी0के0/ धन0मांग (330/3)/2022 दिनांक 21.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राज्य स्तर पर उपलब्ध अव्ययित केन्द्रांश की धनराशि के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0-एम0एस0डी0पी0-21/14/2023-मोमा0 दिनांक 13 फरवरी 2023 के बिन्दु सं0-09 में निम्नवत दिये गये निर्देश के क्रम में एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

http://shasanadesh.up.gov.in/

"I would request you to apprise the updated status/data of PMJVK in the state, and ask the concerned officials to reconcile the data on priority and the remaining of unspent balance may be transferred to SNA account."

2- भारत सरकार के उक्त निर्देश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई राज्य स्तर पर उपलब्ध अव्ययित केन्द्रांश की धनराशि **रू0 1732.688 लाख (रूपये सत्रह करोड़ बत्तीस लाख अरसठ हजार आठ सौ मात्र)** को एस0एन0ए0 खाते में लेखाशीर्षकवार अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना	अवशेष केन्द्रांश जो राज्य सरकार के स्तर से एस0एन0ए0 में निर्गत किया जाना लम्बित है।	एस0एन0ए0 में अंतरित की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि	लेखाशीर्षक
1	2	3	4	5
1	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय जूनियर हाई स्कूलों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण	46.761	46.761	4235-02-800-01-0108
2	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण	418.395	418.395	4235-02-800-01-0109
3	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत रिचार्ज यूनिट सहित सोकपिट का निर्माण	76.065	55.43	4235-02-800-01-0110
4	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना	1169.982	1169.982	4235-02-800-01-0117
5	अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत सदभाव मण्डप का निर्माण	42.120	42.120	4235-02-800-01-0119
	योग	**1753.323**	**1732.688**	

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

http://shasanadesh.up.gov.in/

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।
3. भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.06.2022 के दिशा निर्देशों का अनुपालन निदेशालय, अल्पसंख्यक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।
5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का उत्तरदायित्व होगा।
6. प्रश्नगत धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।
7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र अथवा अन्य/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सम्भावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
12. एस0एन0ए0 में जमा करायी गयी धनराशि के आहरण के पूर्व परियोजनावार (भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश की धनराशि रिलीजिंग आर्डर की प्रति सहित) शासन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर शासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित मानक लेखाशीर्षों से वहन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in/

14. केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू.ओ.संख्या-E-4-**551**-X-2022-23-दिनांक:26-03-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या- 358(1) /52-1-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यवक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
9. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/